संख्या-155/2021/846/22-2-2021-17(177)/2017

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 अगस्त, 2021***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लईक पुत्र श्री मियाजान खॉ, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे-5-दया0 बैठक-11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लईक पुत्र श्री मियाजान खॉ, जो चिलसरा, थाना-शमशाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन जायदाद के लालच के कारण दिनांक 07/08-10-1992 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर तथा गड़ासा से गला काटकर याकूब अली खॉ एवं सलीमन बेगम की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-670/92 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (डी0ए0ए0), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 19.12.1994 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.09.2014 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.11.2020 तक 11 वर्ष, 04 माह, 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष, 11 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किये जाने **के** दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी लईक (बन्दी संख्या-26218) पुत्र श्री मियाजान खॉ, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-155/2021/846(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in